न्यूज़ टुडे

यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती UNCTAD) की एक रिपोर्ट द्वारा खाद्य असुरक्षा को कम करने और अकाल को रोकने में व्यापार की भूमिका की जांच की गई

रिपोर्ट में खाद्य असुरक्षा के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार व्यापार इन चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

व्यापार की भूमिका

- **संधारणीय आपूर्ति से खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है:** उदाहरण के लिए अफ्रीका की 30% अनाज की जरूरतें आयात के जरिए पूरी होती हैं।
- **कीमतों और बाजारों को स्थिर करना:** उदाहरण के लिए- रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान **ब्लैक सी पहल** ने खाद्य एवं उर्वरक निर्यात को सुविधाजनक बनाया था। यह पहल **संयुक्त राष्ट्र व तुर्किये** की मध्यस्थता में संपन्न हुई थी।

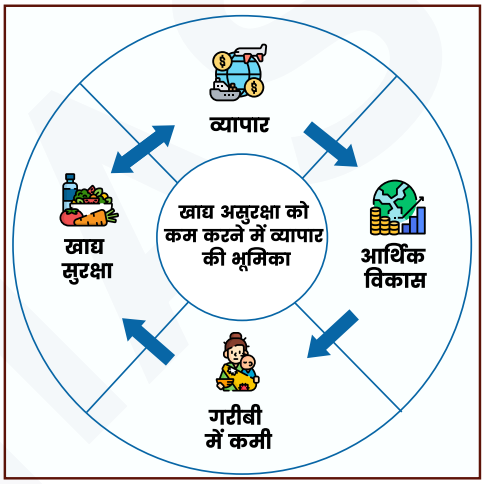

चुनौतियां

- **उच्च लागत:** उदाहरण के लिए, गैर-टैरिफ उपाय (जैसे- सैनिटरी मानक) खाद्य आयात लागत को 20% तक बढ़ा देते हैं।
- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता:** इससे देशों को वैश्विक मूल्य वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
- **परिवहन की बढ़ती लागत:** इसका विकासशील एवं अल्पविकसित देशों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है।

सिफारिशें

- WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर "**गंभीर खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए अल्पकालिक निर्यात सुविधा तंत्र**" पर वार्ता करनी चाहिए।
- व्यापार बाधाओं को कम करना चाहिए और खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे देशों की **निर्यात क्षमता को बढ़ावा** देना चाहिए।
- विशेष रूप से कम आय वाले देशों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को छोटा करने और वैश्विक व्यवधानों के प्रति उनकी सुभेद्यताओं को कम करने के लिए **बंदरगाहों, परिवहन नेटवर्क तथा भंडारण सुविधाओं जैसी व्यापार संबंधी अवसंरचना में निवेश** करना चाहिए।
- विकासशील देशों में **जलवायु-स्मार्ट और संधारणीय खेती का समर्थन** करना चाहिए।

फैक्टशीट

- **2023 में 280 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक भुखमरी** का सामना करना पड़ा था। वहीं **लगभग 733 मिलियन लोगों को चिरकालिक भुखमरी** (Chronic hunger) का सामना करना पड़ा था।
- तत्काल कार्रवाई के बिना, **2030 तक 582 मिलियन लोग चिरकालिक भुखमरी** से पीड़ित होंगे।

वैश्विक भुखमरी के लिए उत्तरदायी कारक

- **सशस्त्र संघर्ष:** वर्ष 2022 में 20 देशों में लगभग 5 मिलियन लोग सशस्त्र संघर्ष के कारण प्रभावित हुए थे।
- **जलवायु परिवर्तन:** इसके कारण 1961 से अब तक कृषि उत्पादकता में 21% की कमी आई है।
- **शहरीकरण:** यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विभाजन को खत्म कर रहा है। इससे कृषि खाद्य प्रणालियां प्रभावित हो रही हैं।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने बेहतर शहरी नियोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला

मंत्री ने संधारणीय शहरी परिवेश और बेहतर शहरी नियोजन पर जोर दिया, क्योंकि **2047 तक 50% आबादी की शहरों में रहने की उम्मीद है।**

वर्तमान में शहरी नियोजन से संबंधित विद्यमान समस्याएं

- **पुरानी स्थानिक और अस्थायी योजनाएं** जनसंख्या वृद्धि को समायोजित करने में विफल हैं।
- **आधुनिक नियोजन फ्रेमवर्क** का अभाव है, मास्टर प्लान्स लोचशील नहीं हैं और प्रतिबंधात्मक जोनिंग विनियमन।
- **आवास संबंधी मुद्दे:** उदाहरण के लिए- भवन निर्माण विनियम अक्सर शहरी घनत्व को सीमित कर देते हैं। इससे शहरों में झुग्गियों का प्रसार होता है। उदाहरण के लिए, **2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल शहरी आबादी का 17.3% झुग्गियों** में रहता है।
- **वायु प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां** लोगों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। साथ ही, जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।
- **शहरों में आपदा प्रतिरोधकता का अभाव:** उदाहरण के लिए, **2015 में चेन्नई में आई बाढ़** का मुख्य कारण झीलों और नदी-तलों का अतिक्रमण था।

बेहतर शहरी नियोजन के लिए शुरू की गई पहलें

- **स्मार्ट सिटीज़ मिशन:** इसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कुशल सेवाएं, मजबूत अवसंरचना और टिकाऊ समाधान प्रदान करके 100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन** का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना है।
- **औद्योगिक श्रमिकों** के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत **किराये के आवास की सुविधा** प्रदान करना,
- **ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं** आदि।

बेहतर शहरी नियोजन के लिए उठाए जाने वाले कदम

- **जीवन की सुगमता को बढ़ाना:** शहरों के संदर्भ में बेहतर योजनाएं तैयार करने और उनका प्रबंधन करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से कर्मचारियों को सशक्त बनाना।
- **डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग:** शहरी अभिशासन को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण पहलों को आगे बढ़ाना एवं लागू करना।
- **पारंपरिक ज्ञान का समायोजन:** ऐतिहासिक भारतीय शहरों की फिर से कल्पना करना और भविष्य के शहरों को आकार देने में प्राचीन शहरी नियोजन के तरीकों एवं तकनीक का उपयोग करना।
- **शहरों को निष्पक्षता, समानता और स्थिरता के उदाहरण के रूप में विकसित करना:** विशेष रूप से हाशिए पर रहे समुदायों के लिए समावेशिता हासिल करने हेतु नवाचार और नागरिक केंद्रित प्रशासन का उपयोग करना।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के 8वें संस्करण की शुरुआत की

NPOP के 8वें संस्करण का उद्देश्य **किसानों सहित हितधारकों के लिए परिचालन को आसान बनाना और पारदर्शिता को बढ़ाना है।**

- NPOP **भारत की जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली को मजबूत** करता है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
  - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा/ APEDA)** इसे लागू करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी है।

NPOP के 8वें संस्करण की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **सरल प्रमाणीकरण प्रणाली:** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (Internal Control System: ICS) के स्थान पर **जैविक उत्पादक समूहों को कानूनी दर्जा** प्रदान किया गया है।
- **बाजार समर्थन:** जैविक उत्पादक समूहों के ICS को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसानों से पूरे जैविक उत्पादन/ उपज की खरीदारी करें या किसानों को समर्थन देने के लिए बाजार से कनेक्टिविटी स्थापित करें।
- **भूमि का जैविक कृषि में तेजी से रूपांतरण:** विशिष्ट परिस्थितियों में **ट्रांजिशन अवधी को तीन वर्ष तक कम** कर दिया गया है।

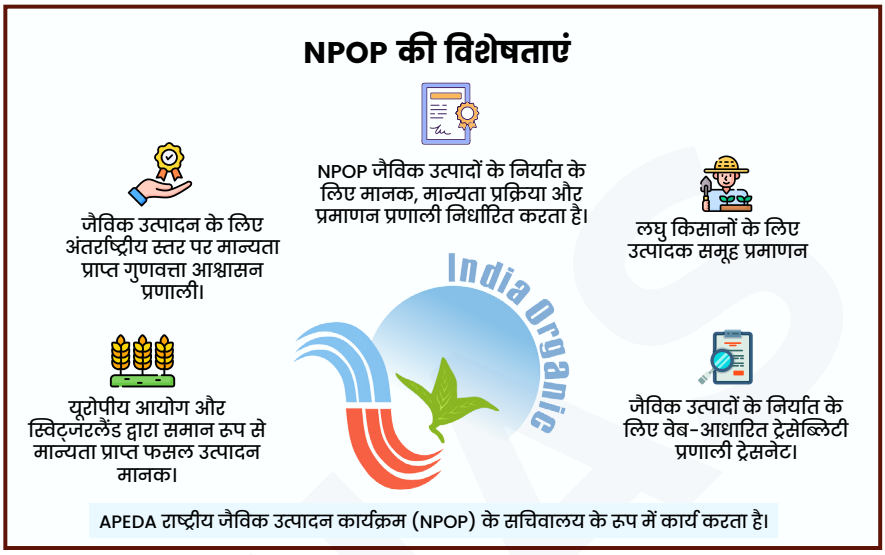

इस दौरान लॉन्च किए गए पोर्टल्स:

- **NPOP पोर्टल:** हितधारकों के संचालन को सरल बनाने के लिए।
- **ऑर्गेनिक प्रमोशन पोर्टल:** किसानों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने के लिए।
- **ट्रेसनेट 2.0:** बेहतर ट्रेसेब्लिटी के लिए।
- **एपीडा पोर्टल का नवीनीकरण:** उपयोगकर्ता अनुभव को सुधारने के लिए।

NPOP की उपलब्धियां

- **वैश्विक रैंकिंग:** भारत जैविक उत्पादकों में **वैश्विक स्तर पर पहले** स्थान पर है और **जैविक कृषि भूमि के मामले में दूसरे स्थान** पर है।
- **प्रमाणित क्षेत्र:** कुल प्रमाणित क्षेत्र **7.3 मिलियन हेक्टेयर (2023-24)** तक पहुंच गया है। इसमें **मध्य प्रदेश पहले** स्थान पर है। इसके बाद **महाराष्ट्र और राजस्थान** का स्थान है।
- **जैविक उत्पाद निर्यात:** यह वर्तमान में 4,007.91 करोड़ रुपये है। इसके **अगले तीन वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।**

केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

गृह मंत्री ने **BPR&D के नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर किए गए काम की समीक्षा** की। साथ ही, उन्होंने जमीनी स्तर पर पुलिस द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को हल करने तथा पुलिस की वैश्विक छवि को सुधारने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया।

- BPR&D की स्थापना **1970 में गृह मंत्रालय के तहत** हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य **पुलिस बल के आधुनिकीकरण को बढ़ावा** देना है।

भारत में पुलिस में व्यवस्था पर एक नजर:

- **राज्य सूची का विषय:** भारतीय संविधान के तहत पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से राज्यों द्वारा नियंत्रित की जाती है।
- **केंद्र का राज्यों को सहयोग:** केंद्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस को खुफिया जानकारी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों (जैसे उग्रवाद) के मामले में सहायता प्रदान करते हैं।
- **पुलिस के कार्य:** कानूनों को लागू करना और अपराधों की जांच करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना तथा लोक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **पुलिस की जवाबदेही:** राज्य सरकार के पास पुलिस बलों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण होता है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

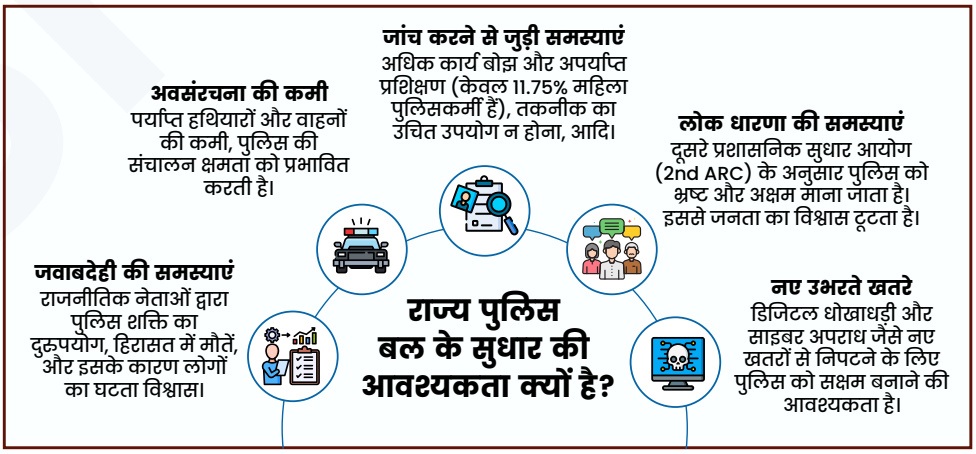

राज्य में पुलिस सुधार हेतु की गई पहलें:

- **राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) की योजना:** इस योजना की अवधि **पांच साल (2021-26)** है। इसमें पुलिस की संरचना और संचालन को बेहतर बनाने के लिए **15 उप-योजनाएं** शामिल हैं।
- **स्मार्ट पुलिसिंग:** यह विचार **प्रधान मंत्री द्वारा 2014** में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य **पुलिस को स्मार्ट/SMART** बनाना है।
  - **स्मार्ट/SMART: सख्त** और संवेदनशील; **आधुनिक** व गतिशील; **सतर्क** एवं जवाबदेह; **विश्वसनीय** और प्रतिक्रियाशील; **तकनीकी** रूप से कुशल तथा प्रशिक्षित।
- **महिला प्रतिनिधित्व:** गृह मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में पूर्णतः महिला पुलिसकर्मी वाले पुलिस स्टेशन स्थापित करने तथा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 33% करने की सलाह दी है।
- राज्य पुलिस बल को मजबूत करने के लिए **सामुदायिक पुलिसिंग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों {प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) मामला} का पालन** जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है।

सरकार दुनिया भर के शोधकर्ताओं को 10,000 जीनोम डेटाबेस उपलब्ध कराएगी

भारत सरकार ने **जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट** के तहत एकत्र किए गए डेटाबेस को शोधकर्ताओं के लिए डिजिटल **पब्लिक गुड** के रूप में उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसे निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा-

- **भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) पोर्टल**
  - यह भारत के जीनोमिक डेटा को संग्रहित करेगा तथा उस तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे शोधकर्ताओं को आनुवंशिक विविधताओं का पता लगाने और सटीक जीनोमिक टूल्स विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **'फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल्स (FeED)'.**
  - इसे **बायोटेक-प्राइड (Biotech-PRIDE) दिशा-निर्देशों** के तहत लॉन्च किया गया है। FeED उच्च गुणवत्ता वाले और राष्ट्र-विशिष्ट जीनोमिक डेटा का नैतिक, पारदर्शी व जिम्मेदारीपूर्ण साझाकरण सुनिश्चित करता है।
    - बायोटेक-प्राइड दिशा-निर्देश भारत में जैविक और जीनोमिक डेटा के **जिम्मेदारीपूर्ण, नैतिक एवं पारदर्शी साझाकरण के लिए एक फ्रेमवर्क** प्रदान करते हैं।

इस पहल का महत्त्व और भविष्य का दृष्टिकोण

- **व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव:** यह भारत की जनसांख्यिकी के अनुरूप इलाज को सक्षम बनाकर कम लागत वाले निदान और सटीक आनुवंशिक अध्ययन सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
- **जैव अर्थव्यवस्था का विकास:** भारत की **जैव अर्थव्यवस्था 2014 की 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन डॉलर** हो गई थी। **2030 तक इसे 300 बिलियन डॉलर** तक ले जाने का लक्ष्य है।
- वर्तमान में भारत **जैव प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर है तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरे स्थान** पर है।
- **अंतर्विषयक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना:** जीनोमिक डेटा कृषि, पर्यावरण और औद्योगिक क्षेत्रकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करके अंतर्विषयक अनुसंधान को उत्प्रेरित कर सकता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक:** जीनोमिक डेटा mRNA टीके विकसित करने, प्रोटीन निर्माण और आनुवंशिक विकार उपचार आदि में प्रगति को बढ़ावा देने में सहायक साबित हो सकता है।

जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में:

- यह प्रोजेक्ट **जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2020** में लॉन्च किया था।
- **उद्देश्य:** व्यापक स्तर पर जीनोम सिक्वेंसिंग के जरिए भारत की विविध जनसंख्या में आनुवंशिक विविधताओं की सूची तैयार करना।
- जीनोम DNA से बना होता है और **DNA के भीतर 23 जोड़ी गुणसूत्र** होते हैं।

तिरुपति में अत्यधिक भीड़ के कारण मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई

भगदड़ का आशय उस स्थिति से है, **जब भीड़ की व्यवस्थित आवाजाही में किसी कारणवश व्यवधान** उत्पन्न हो जाता है, जिससे लोग अनियंत्रित होकर इधर-उधर भागने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई लोग घायल हो जाते हैं और गंभीर स्थिति (जैसे दम घुटने, कुचले जाने आदि) में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भगदड़ में मृत्यु का बड़ा कारण **अभिघातजन्य श्वासावरोध** (Traumatic asphyxia) है।

- कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 1954-2012 के बीच **भारत में हुई भगदड़ में से 79%** के लिए **धार्मिक आयोजन** जिम्मेदार थे।
- हालिया उदाहरणों में **2024 में हाथरस और कालकाजी मंदिर** की घटनाएं शामिल हैं।

भीड़ प्रबंधन

- **भीड़ प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश**
  - **भीड़ प्रबंधन रणनीति और व्यवस्था:** क्षमता नियोजन (बुनियादी ढांचे का विकास), भीड़ के व्यवहार को समझना तथा समूह व्यवहार को प्रतिबंधित या सीमित करके भीड़ को नियंत्रित करना।
  - **जोखिम का मूल्यांकन और शमन:** संभावित खतरों की पहचान करना और उनका समाधान करना।
  - **सूचना प्रबंधन:** आगंतुकों और हितधारकों के साथ स्पष्ट संचार सुनिश्चित करना।
  - **सुरक्षा और संरक्षा:** भीड़-भाड़ वाले एरिया में CCTV से निगरानी करना और वहां पर आपातकालीन निकास की व्यवस्था करना।
  - **चिकित्सा सेवाएं:** सभी सुविधा से लैस एम्बुलेंस सेवाएं एवं प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करना।
  - **यातायात प्रबंधन:** दक्ष परिवहन और मार्गों की स्पष्ट तरीके से मार्किंग सुनिश्चित करना।

भीड़ प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियां

- **जापान और सिंगापुर:** यहां पर भीड़ प्रबंधन के लिए AI-संचालित भीड़ निगरानी प्रणाली, रियल टाइम डेटा विश्लेषण, मोबाइल एप्लिकेशन जैसी एडवांस तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- **सऊदी अरब (हज तीर्थयात्रा प्रबंधन):** सऊदी अरब क्राउड फ्लो मॉडलिंग, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए निर्धारित समय स्लॉट आदि का उपयोग करता है।

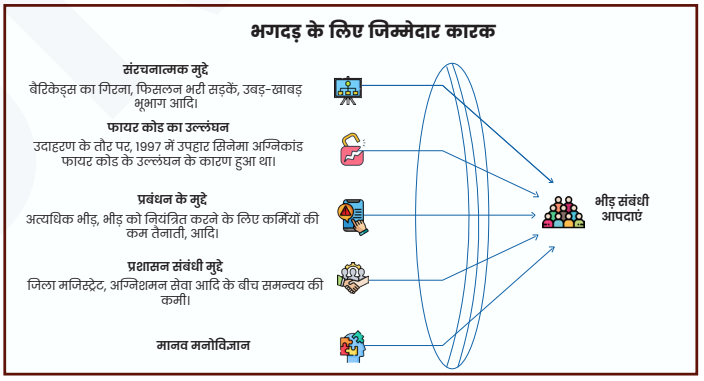

अन्य सुर्ख़ियां

सुप्रियो बनाम भारत संघ वाद 2023

सुप्रीम कोर्ट ने **सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ वाद** में दिए गए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।

सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ वाद, 2023 के बारे में

- सुप्रीम कोर्ट ने **क्वीर विवाहों को मान्यता देने से इनकार** कर दिया था और इस विषय को **विधायिका पर छोड़** दिया था।
  - **क्वीर** से तात्पर्य उन लोगों से है, जो स्वयं को LGBTQ+ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्स) के रूप में पहचानते हैं।
- कोर्ट ने क्वीर समुदाय के अधिकारों का अध्ययन करने के लिए केंद्र को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था, लेकिन इनके विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।
  - इस निर्देश के पालन में **केंद्र ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता** में एक समिति गठित की है।
- कोर्ट ने कहा कि **क्वीर जोड़ों को बिना किसी हिंसा या हस्तक्षेप के एक साथ रहने का अधिकार है,** लेकिन विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी।

किसान पहचान-पत्र (किसान ID)

केंद्र ने **प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)** में **नामांकन हेतु नए आवेदकों के लिए किसान ID प्राप्त करना अनिवार्य** कर दिया है।

- पीएम किसान योजना **सभी भूमि-धारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान** करती है।

किसान पहचान-पत्र (किसान ID) के बारे में

- **यह आधार जैसी डिजिटल पहचान किसानों को राज्य भूमि रिकॉर्ड से जोड़ती है और भू-स्वामित्व की पुष्टि** करती है।
- किसान पहचान-पत्र के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस को **किसान रजिस्ट्री** के नाम से जाना जाएगा।
  - **किसान रजिस्ट्री, एग्री-स्टैक** के अंतर्गत **तीन रजिस्ट्रियों** में से एक है। **अन्य रजिस्ट्रियां हैं**- जियो-रेफरेन्सड विलेज मैप्स तथा फसल बुवाई रजिस्ट्री।

ई-वे बिल

दिसंबर में ई-वे बिल दो वर्षों में दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। यह आपूर्ति श्रृंखला में सुधार को दर्शाता है।

ई-वे बिल के बारे में

- ई-वे बिल राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच **50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन के लिए अनिवार्य** होते हैं।
  - ये वस्तुओं की आवाजाही को ट्रैक करते हैं। इसलिए, ये **आर्थिक गतिविधि के प्रारंभिक संकेतक** के रूप में काम करते हैं।
- इसे GST **कॉमन पोर्टल से ई-वे बिल प्रणाली** के तहत जनरेट किया जाता है। इसे **पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों** द्वारा जनरेट किया जाता है।
- 1 **अप्रैल** से ई-वे बिल प्रणाली का उपयोग करने वाले **सभी करदाताओं के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य** हो जाएगा

एनीमियाफोन (AnemiaPhone)

कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एनीमियाफोन तकनीक को ICMR को हस्तांतरित कर दिया गया है। इससे **आयरन की कमी का तेजी एवं सटीकता के साथ लागत प्रभावी आकलन** करने में मदद मिलेगी।

- ICMR इसे पूरे देश में **एनीमिया, महिला स्वास्थ्य तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए अपने प्रोग्राम्स में एकीकृत** करेगा।

भारत में एनीमिया के बारे में

- **एनीमिया** एक ऐसी स्थिति है, जिसमें **लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम** हो जाती है।
- NFHS-5 के अनुसार यह **59% किशोरियों, 57% महिलाओं (15-49 वर्ष) और 67% बच्चों (6-59 महीने) को प्रभावित** करता है।
- **एनीमिया मुक्त भारत रणनीति** एनीमिया को कम करने के लिए लाइफ साइकल एप्रोच के तहत 6x6x6 दृष्टिकोण का उपयोग करती है। **6x6x6 दृष्टिकोण है- 6 लक्षित लाभार्थी समूह, 6 हस्तक्षेप, तथा 6 संस्थागत तंत्र।**

सरफेस एनहैंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (SERS)

वैज्ञानिकों ने **संधारणीय व दक्ष नैनो उत्प्रेरक** विकसित किए हैं। इनका उपयोग **पर्यावरण सुधार, नैनोस्केल इलेक्ट्रॉनिक्स और सरफेस एनहैंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (SERS)** में किया जा सकता है।

सरफेस एनहैंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (SERS) के बारे में

- यह एक **अत्यधिक संवेदनशील तकनीक** है। इसे **नैनोसंरचित पदार्थों द्वारा समर्थित अणुओं के रमन प्रकीर्णन को बढ़ाने** के लिए विकसित किया गया है।
- **रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नॉन-डिस्ट्रक्टिव रासायनिक विश्लेषण** तकनीक है। यह पदार्थ के बारे में **निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है:**
  - रासायनिक संरचना और पहचान,
  - आंतरिक तनाव/ खिंचाव,
  - संदूषण और अशुद्धता।
- **उपयोग:** नैनो प्रौद्योगिकी, बायोमेडिसिन, खाद्य विज्ञान, पर्यावरण विश्लेषण, जैव रसायन और बायोसेंसिंग आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है।

ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (DALH)

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने दावा किया है कि **DALH के फ्लाइट सेफ्टी रिकार्ड्स वैश्विक मानकों की तुलना में बेहतर** हैं।

ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (DALH) के बारे में

- यह **दोहरे इंजन वाला विमान** है। यह HAL द्वारा निर्मित **स्वदेशी रूप से विकसित** हेलीकॉप्टर है।
- यह हेलीकॉप्टर **विविध भूमिकाओं और मल्टी-मिशन आयामों** के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका उपयोग **सैन्य कार्यों के साथ-साथ असैन्य** कार्यों के लिए भी किया जा सकता है।
- **अलग-अलग संस्करण:**
  - ALH ध्रुव MK III UT (**यूटिलिटी**): **भारतीय थल सेना** के लिए डिजाइन किया गया यह संस्करण खोज एवं बचाव, सैन्य परिवहन, आंतरिक कार्गो आदि कार्यों के लिए उपयुक्त है।
  - ALH MK III MR (**समुद्री भूमिका**): **भारतीय तटरक्षक बल** के लिए डिज़ाइन किया गया यह संस्करण समुद्री निगरानी, अवरोधन, खोज व बचाव, और रैपलिंग ऑपरेशंस जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त है।

मेक्सिको की खाड़ी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर "अमेरिका की खाड़ी" रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मेक्सिको की खाड़ी के बारे में

- **सीमाएं:** इस खाड़ी की सीमाएं उत्तर में **संयुक्त राज्य अमेरिका,** पश्चिम और दक्षिण में **मैक्सिको** तथा दक्षिण-पूर्व में **क्यूबा** से लगती है।
- यह खाड़ी **फ्लोरिडा जलडमरूमध्य** के माध्यम से **अटलांटिक महासागर** से और **युकाटन चैनल** के माध्यम से **कैरेबियन सागर** से जुड़ती है।
- **इसमें गिरने वाली नदियां:** मिसिसिपी, रियो ग्रांड आदि।
- **नियंत्रण और स्वामित्व: संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा** का इस पर साझा नियंत्रण व स्वामित्व है।
- **महत्त्व:** विशाल महाद्वीपीय शेल्फ, तेल और प्राकृतिक गैस निष्कर्षण, मत्स्य पालन आदि।
- **सुभेद्यता:** मेक्सिको की खाड़ी के जल का तापमान उच्च होता है, जो **हरिकेन और भंवर** के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। इसके अलावा, इसकी वातावरणीय दशाएं भी प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न कर देती हैं।

एम्पॉहर बिज़ (EmpowHER Biz)

नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) ने एम्पॉहर बिज़- सपनों की उड़ान लॉन्च की है।

- WEP को **2018 में नीति आयोग में एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म** के रूप में इनक्यूबेट किया गया था। 2022 में यह **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** में परिवर्तित हो गया था।

एम्पॉहर बिज़ के बारे में

- **उद्देश्य**
  - महिला उद्यमियों को आवश्यक कौशल और संसाधन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना।
  - यह महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को खुदरा प्रबंधन, डिजिटल उपकरण, वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय विकास पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

चाड (राजधानी: एन'जामेना)

हाल ही में, चाड के राष्ट्रपति भवन परिसर में हुए हमले में कई लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है।

भौगोलिक अवस्थिति:

- यह **उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक स्थलरुद्ध** देश है। इसकी केन्द्रीय अवस्थिति और शुष्क जलवायु के कारण इसे अक्सर **"डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका"** कहा जाता है।
- **स्थलीय सीमाएं:** यह उत्तर में **लीबिया** से, पूर्व में **सूडान** से, दक्षिण में **मध्य अफ्रीकी गणराज्य** से, दक्षिण-पश्चिम में **कैमरून व नाइजीरिया** से तथा पश्चिम में **नाइजर** से घिरा हुआ है।

भौगोलिक विशेषताएं

- **जलवायु:** इसके दक्षिण में **उष्णकटिबंधीय** तथा उत्तर में **मरुस्थलीय** जलवायु है। यहां साल भर अलग-अलग **आर्द्र और शुष्क** मौसम होता है।
- **प्रमुख नदियां:** चारी, लोगोने और इनकी सहायक नदियां।
- **खनिज संसाधन: तेल, सोना, यूरेनियम, नैट्रॉन** आदि।